प्रेषक

परिवहन आयुक्त,
हरियाणा चण्डीगढ़।

सेवा में,

सभी उपायुक्त
हरियाणा राज्य में।

सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं
पंजीकरण अधिकारी, हरियाणा राज्य में।

सभी सचिव
क्षेत्रिय परिवहन प्रधिकरण,
हरियाणा राज्य में।

कमांक 5853-5954/A1-T दिनांकः– 6-3-2014

विषयः– रजिस्टरेशन नम्बर 0021 से 0100 तक उपमण्डल अधिकारी–पंजीकरण अधिकारी, हरियाणा अलाट किये जाने बारे।

1. उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 22.01.2014 व पत्र कमांक 180/ATC-I दिनांक 23.01.2014 के संदर्भ में।

2. इस बारे में आपको अवगत करवाया जाता है कि मुख्यालय (परिवहन आयुक्त) द्वारा निम्नलिखित सीरीज के नम्बर एडवास में शुरू किये गये थे। अब उक्त अधिसूचना के प्रकाशित होने के कारण आपको पंजीकरण संख्या 21 से 100 तक अलाट करने हेतू अधिकृत किया गया है। इस कार्यालय द्वारा अब तक जिन सीरीज में नम्बर जारी किये गये है उनकी सूची निम्न प्रकार से हैः–

Sr. No.	Name of Authority	Regd. No. Series	Regd.No. Series. Allotted by Head Quarter (Transport Commissioner) (1 to 100)
1.	RA Ambala	HR-01	HR-01 AH
2.	RA Jagadhari	HR-02	HR-02 AD
3.	RA Panchkula	HR-03	HR-03 X
4.	RA Naraingarh	HR-04	HR-04 N
5.	RA Karnal	HR-05	HR-05 AK
6.	RA Panipat	HR-06	HR-06 AC
7.	RA Kurukshetra	HR-07	HR-07 U
8.	RA Kiathal	HR-08	HR-08 R
9.	RA Gulha	HR-09	HR-09 L
10.	RA Sonepat	HR-10	HR-10 W
11.	RA Gohana	HR-11	HR-11 F
12.	RA Rohtak	HR-12	HR-12 W
13.	RA Bahadurgarh	HR-13	HR-13 H
14.	RA Jhajjar	HR-14	HR-14 K
15.	RA Meham	HR-15	HR-15 G
16.	RA Bhiwani	HR-16	HR-16 N
17.	RA Siwani	HR-17	HR-17 F

18.	RA Loharu	HR-18	HR-18 H
19.	RA Ch. Dadri	HR-19	HR-19 H
20.	RA Hisar	HR-20	HR-20 AB
21.	RA Hansi	HR-21	HR-21 H
22.	RA Fatehabad	HR-22	HR-22 J
23.	RA Tohana	HR-23	HR-23 H
24.	RA Sirsa	HR-24	HR-24 S
25.	RA Dabwali	HR-25	HR-25 F
26.	RA Gurgaon	HR-26	HR-26 CD
27.	RA Nuh	HR-27	HR-27 J
28.	RA F.Pur Zirkha	HR-28	HR-28 G
29.	RA Ballabgarh	HR-29	HR-29 AF
30.	RA Palwal	HR-30	HR-30 M
31.	RA Jind	HR-31	HR-31 J
32.	RA Narwana	HR-32	HR-32 G
33.	RA Safidon	HR-33	HR-33 E
34.	RA Mohindergarh	HR-34	HR-34 G
35.	RA Naranul	HR-35	HR-35 J
36.	RA Rewari	HR-36	HR-36 V
37.	RTA Ambala	HR-37	Nil
38.	RTA Faridabad	HR-38	Nil
39.	RTA Hisar	HR-39	Nil
40.	RA Assandh	HR-40	HR-40 E
41.	RA Pehowa	HR-41	HR-41 F
42.	RA Ganaur	HR-42	HR-42 D
43.	RA Kosli	HR-43	HR-43 D
44.	RA Ellnabad	HR-44	HR-44 G
45.	RTA Karnal	HR-45	Nil
46.	RTA Rohtak	HR-46	Nil
47.	RTA Rewari	HR-47	Nil
48.	Tosham	HR-48	HR-48 A
49.	RA Kalka	HR-49	HR-49 F
50.	RA Hodel	HR-50	HR-50 E
51.	RA Faridabad	HR-51	HR-51 AY
52.	RA Hathin	HR-52	HR-52 D
53.	CANCEl (Adampur)	HR-53	HR-53 A
54.	RA Barara	HR-54	HR-54 B
55.	RTA Gurgaon	HR-55	Nil
56.	RTA Jind	HR-56	Nil
57.	RTA Sirsa	HR-57	Nil
58.	RTA Yamuna Nagar	HR-58	Nil
59.	RA Ratia	HR-59	HR-59 C
60.	RA Samalkha	HR-60	HR-60 E
61.	RTA Bhiwani	HR-61	Nil
62.	RTA Fatehabad	HR-62	Nil
63.	RTA Jhajjar	HR-63	Nil
64.	RTA Kaithal	HR-64	Nil
65.	RTA Kurukshetra	HR-65	Nil
66.	RTA Mohindergarh	HR-66	Nil
67.	RTA Panipat	HR-67	Nil

68.	RTA Panchkula	HR-68	Nil
69.	RTA Sonepat	HR-69	Nil
70.	Headquarter	HR-70	HR-70 U
71.	RA Bilaspur	HR-71	HR-71 C
72.	RA Gurgaon	HR-72	HR-72 B
73.	RTA Palwal	HR-73	HR-73
74.	RTA Nuh (Mewat)	HR-74	HR-74
75.	RA Indri	HR-75	HR-75 A
76.	RA Patodi	HR-76	HR-76 A
77.	RA Beri	HR-77	HR-77 A
78.	RA Shahabad	HR-78	HR-78 A
79.	RA Kharkhoda	HR-79	HR-79
80.	RA Barwala	HR-80	HR-80

3. इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त अकिंत/दर्शाई गई सीरीज की सूचि में से यदि कोई रजिस्टरेशन नम्बर अलाट करना चाहते हैं तो अलाट करने से पूर्व इसकी पुष्टि मुख्यालय से करने उपरान्त ही अलाट करे ताकि दोहरी पंजीकरण संख्या जारी न हो पाए।

4. मुख्यालय द्वारा वाहन स्वामी को अभी तक किसी भी सीरीज में 21 से 100 तक रजिस्टरेशन नम्बर जारी किये जाते थे। अब यह कार्य 21 से 100 तक हरियाणा राज्य के सभी उपमण्डल अधिकारी (ना0) एवं पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी किये जाने के लिए अधिकृत किया गया है।

उदाहरणतः यदि कोई वाहन स्वामी पंचकूला का निवासी है और उसे मुख्यालय द्वारा सिरसा की सीरीज में 21 से 100 तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नम्बर पहले अलाट किया गया है इस मामले में इस कार्यालय द्वारा रजिस्ट्रीग अथोरिटी सिरसा को Screen Report/ Particular वैरीफिकेशन विभाग की इमेल द्वारा तथा वाहन स्वामी को दस्ती तौर पर भी दी जाएगी। जिस पर सिरसा अर्थोरिटी उसे अपने रिकार्ड (वाहन) में बैक लोग एन्टरी दर्ज करके पंजीकरण अधिकारी पंचकूला को अनापति प्रमाण पत्र जारी कर देगा। तदोनुसार पंजीकरण अधिकारी पंचकूला इस वाहन के Particular अपने रिकार्ड (वाहन) में बैक लोग एन्टरी करके इस वाहन से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य मोटर वाहन अधिनियम, 1988 केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 तथा मुख्यालय द्वारा समय–समय पर जारी की गई हिदायतों की अनुपालना में अगामी कार्यवाही करे।

उपरोक्त स्थित निर्देश अनुसार सभी पंजीकरण अधिकारी इस मामले में कार्यवाही करे।

5. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा विभाग की ईमेल से भेजी गई Screen Report लेकर वाहन स्वामी का उसके वाहन से सम्बन्धित कार्य करे। यदि कोई इस मामले में कठिनाई आती है तो वह इस कार्यालय में ईमेल stcharyana@hry.nic.in पर सूचित करें। इस मामले में किसी भी प्रकार की कठिनाई आने पर इस कार्यालय के अधिकारी/कर्मचारी से फोन पर सर्म्पक करके जानकारी ले सकते है।

i) श्री एस0के0 शर्मा, पंजीकरण अधिकारी – फोन नं0 0172–2700514, 9888332658।

ii) श्री सुनील कुमार, पंजीकरण सहायक – 9416681009

iii) श्री रमेश चंद, लिपिक – 9988125112

6 यहां यह भी सुनिश्चित करें कि किसी वाहन स्वामी को Re-Verification या किसी अन्य सूचना के लिए पुनः परिवहन आयुक्त के कार्यालय में ना भेजा जाये। आप इस कार्यालय से अपने कार्यालय की विभागीय ईमेल द्वारा कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते है।

7 सभी पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिये जाते है कि पंजीकरण संख्या 21 से 100 तक किसी भी वाहन स्वामी का कार्य उसी दिन करना सुनिश्चित करें। क्योंकि उक्त वाहन स्वामी हरियाणा के किसी भी जिले के रहने वाले हो सकते है तथा उनको दोबारा आपके कार्यालय में उक्त कार्य के लिए न आना पडे इसकी व्यवस्था करने का कष्ट करें।

6/3/14
अतिरिक्त परिवहन आयुक्त,
हरियाणा चण्डीगढ़।
6/3/14 6/3/14